छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
गुरुवार, दिनांक 11 मार्च, 2010
(फाल्गुन-20, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 23 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06, 08 से 10, 12, 13 एवं 15 से 17 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 07, 11 एवं 14 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री डॉ.शिवकुमार डहरिया, संतोष बाफना एवं देवजी पटेल अनुपस्थित रहे।

तारांकित प्रश्न संख्या 15 पर समाधानकारक उत्तर नहीं आने के कारण इसे आगामी कार्यदिवस हेतु निर्धारित किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में 9 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने जिला रायपुर, ग्राम-हथबंध स्थित गुरुकुल बाल आश्रम में एक बच्ची को बेचे जाने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

सुश्री लता उसेंडी, समाज कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा विषय की गंभीरता एवं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में इसे महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति को जांच हेतु संदर्भित किया गया।

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा, ग्राम-अकलतरा पटवारी हल्का नंबर-10 में अवैध प्लॉटिंग किए जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईः-

(1) श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी

(2) श्री रामदयाल उइके

(3) श्री सौरभ सिंह

(4) डॉ.शिवकुमार डहरिया

(5) गुरु रूद्रकुमार

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री सेवकराम नेताम, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 2010 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्रं.	*सदस्य का नाम*	*समय*
1. (क्रमांक - 10)	श्री सौरभ सिंह	45 मिनट
2. (क्रमांक - 12)	महंत रामसुंदर दास	1 घण्टा 15 मिनट
3. (क्रमांक - 06)	श्री भीमा मण्डावी	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

5. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय आदिम जाति विकास मंत्री के विभागों की मांगों पर पुनर्गृहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः-

डॉ.सुभाऊ कश्यप,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री राजकमल सिंघानिया, दयालदास बघेल,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री शिवराज सिंह उसारे, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, ह्दयराम राठिया, श्रीमती सुमित्रा मारकोले,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री सेवकराम नेताम, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, बैदूराम कश्यप, धर्मजीत सिंह, वीरेन्द्र कुमार साहू, रामपुकार सिंह, सौरभ सिंह, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, दूजराम बौद्ध, देवजी पटेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री पुन्नूलाल मोहिले, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित मांग संख्या 39, ग्रामोद्योग से संबंधित मांग संख्या 56, बीस सूत्रीय कार्यन्वयन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 50 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-39 पर महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री ताम्रध्वज साहू, श्री अग्नि चंद्राकर, श्रीमती अम्बिका मरकाम, **मांग संख्या-56 पर** महंत रामसुंदर दास एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-50 पर** महंत रामसुंदर दास एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य
के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सदन के समय में 6.30 बजे तक समयवृद्धि की घोषणा की।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

सर्वश्री फूलचंद सिंह, अग्नि चंद्राकर, ब्रह्मानंद, भजनसिंह निरंकारी, वीरेन्द्र कुमार साहू (जारी..)

सायं 6.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 2010 (फाल्गुन 21, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा